न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अभिषेक खन्ना, आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
50/2020	दावा 88 RTA &	03.07.2020	28.12.2020

1. रेवन्तसिंह पुत्र गोगराजसिंह उम्र 42 वर्ष जाति रावणा राजपूत निवासी दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. कुम्भकरणसिंह पुत्र गोगराजसिंह उम्र 37 वर्ष जाति रावणा राजपूत निवासी दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र राजपुरोहित व श्री मंगलसिंह वादीगण
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 547/238 तादादी 6.8164 हैक्टेयर वाके रोही दूधवा मीठा में स्थित चली आ रही है जिसमें वादी कुम्भकरणसिंह का 47/231 हिस्सा व वादी रेवन्तसिंह का 1/3 हिस्सा है। उक्त रकबा वादीगण के पिता स्वर्गीय रामकुमारसिंह उर्फ गोगराजसिंह पुत्र रूपसिंह दरोगा के नाम से खातेदारी का चला आ रहा था, उनके स्वर्गवास के बाद उक्त रकबा वादीगण व उनके भाई मोहनसिंह के नाम दर्ज हो गया। मोहनसिंह की मृत्यु के बाद उसके वारिसान के 1/3 हिस्सा दर्ज है तथा शेष रकबा वादी कुम्भकरणसिंह द्वारा विक्रय किये जाने पर परमेश्वरी के नाम चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि में वादीगण की काश्त हमेशा से चलती आ रही है लेकिन वादीगण के पिता गोगराजसिंह का नाम उक्त खाता में गलत रूप से गोगराजसिंह के बजाय रामकुमारसिंह अशुद्ध अंकित हो गया है जबकि दोनों नाम वादीगण के पिता के थे। वादीगण के सभी दस्तावेजात राशन कार्ड, वोटरलिस्ट व अन्य पहचान के दस्तावेज में पिता का नाम गोगराजसिंह है। मात्र खाता में गलत नाम होने के कारण वादीगण को हमेशा के.सी.सी. व किसान कार्ड आदि का फायद [illegible] स कारण वादीगण द्वारा तहसीलदार, चूरू को उक्त नाम शुद्ध करने हेतु दिनांक [illegible] को उक्त निवेदन करने पर तहसीलदार, चूरू द्वारा उक्त नाम शुद्ध क [illegible] जी के यहां दावा पेश करने की कहने से वाद कारण पैदा हु [illegible] दार होने से वादाध [illegible] है तथा राजस्व रिकार्ड को संधारण तहसीलदार, चूरू द्वारा किये [illegible] ने व रिकार्ड में अमल [illegible] द करते होने के कारण पक्षकार दावा बनाया गया है तथा सीधा अनुतोष नहीं चाहा होने से बगैर नोटिस दिये दावा उचित न्याय शुल्क पर पेश किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:24:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अतः दावा वादीगण पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर निम्नानुसार अनुतोष प्रदान किया जावेः—

(क) घोषित किया जावे कि वादीगण के पिता का नाम रामकुमारसिंह के बजाय गोगराजसिंह है तथा उसी अनुरूप बाद घोषणा राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 547/238 रोही मौजा दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरू में अमल दरामद फरमाया जावे।

(ख) अन्य अनुतोष जो हितकर वादीगण हो, प्रदान किया जावे।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज ने जवाबदावा मय दस्तावेजात पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार राज ने अपने जवाबदावा में अंकित किया कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 547/238 तादादी 6.8164 हैक्टेयर वाके रोही दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरू में वादीगण की खातेदारी की है, उक्त खसरा में वादीगण के पिता का नाम रामकुमारसिंह अंकित है जो खातेदारी वादीगण को प्राप्त होने के समय से चला आ रहा है। इस कारण प्रतिवादी का कोई दोष नहीं है। दावा की अन्य तमाम मद वादीगण द्वारा अपने दावा को रंगत देने के उद्देश्य से लिखवाई है जो अस्वीकार है। वादीगण स्वयं साबित करावें। राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम रामकुमारसिंह की जगह गोगराजसिंह किया जाता है तो इससे अप्रार्थी के राजस्व हितों पर कोई असर नहीं होगा। प्रतिवादी के कारण वादीगण के हितों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं हुआ है, ना ही प्रतिवादी की कोई लापरवाही रही है। इस कारण खर्चा मुकदमा व अन्य अनुतोष क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी नहीं हैं। अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि दावा में न्याय फरमाया जावे।

प्रतिवादी द्वारा इकबाल जवाबदावा पेश करने पर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत रखी गई। साक्ष्यवादी में रेवन्तसिंह व कुम्भकरणसिंह ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्यवादी बन्द की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी हेतु अवसर दिया गया। पैरोकार राज द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस में रखी गई। बहस से पूर्व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण अपने दावा में अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाना चाहते हैं इसलिए इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट तहसीलदार, चूरू से मंगवाई गई। तहसीलदार, चूरू से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली बहस में नियत रही।

वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र प्रदर्श अंकित करवाने बाबत पेश किये जिन पर पैरोकार राज ने कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया। दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर प्रदर्श अंकित करवाने एवं संशोधित वादपत्र पेश करने आदेश दिया गया। साक्ष्यवादी रेवन्तसिंह व कुम्भक[illegible] उपस्थित हुए जिनके बयानात् लेखबद्ध किये जाकर प्रदर्श अंकित करवाये [illegible] पत्रावली किये गये। वकील वादीगण ने संशोधित वाद पत्र [illegible] के अवर में शामिल किया गया। वकील वादीगण ने बहस का निवेदन किया जिस वकील वादीगण व पैरोकार राज की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:24:00 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी ने बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि वादीगण की पैतृक खातेदारी की है जो वादीगण को विरासतन प्राप्त हुई है। उक्त कृषि भूमि में वादीगण के पिता का नाम गोगराजसिंह के स्थान पर गलत रूप से रामकुमारसिंह

उपखण्ड अधिकारी

दर्ज चला आ रहा है जबकि वादीगण के समस्त दस्तावेजों में पिता का नाम गोगराजसिंह अंकित है। वादीगण के पिता का सही एवं वास्तविक नाम गोगराजसिंह ही है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम गलत अंकित होने से के.सी.सी. व अन्य कार्यों में वादीगण को काफी कठिनाई व परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पैरोकार राज एवं तहसीलदार, चूरू ने भी अपनी रिपोर्ट में वादीगण के पिता का नाम रामकुमारसिंह की बजाय गोगराजसिंह दुरूस्त करने की अनुशंषा की है। अतः दावा स्वीकार किया जाकर डिकी फरमाया जावे। पैरोकार राज ने दावा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने का कथन करते हुए जाहिर किया कि वादीगण के पिता का नाम शुद्ध किये जाने से राजस्थान सरकार को किसी प्रकार की हानि होने की सम्भावना नहीं है।

उभय पक्षकारान को सुना जाकर पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। प्रदर्श–1 नकल नामान्तरकरण सं. 220 ग्राम दूधवा मीठा जो वादीगण के पिता का स्वर्गवास होने पर दर्ज हुआ है, जिसमें वादीगण के पिता का नाम रामकुमारसिंह अंकित है। प्रदर्श–2 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 खसरा नं. 547/238 तादादी 6.8164 हैक्टेयर रोही दूधवा मीठा में वादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा, वादी सं. 2 का 47/231 हिस्सा एवं दोनों के पिता का नाम रामकुमारसिंह दर्ज है जिसको वादीगण दुरूस्त करवाना चाहते हैं। प्रदर्श–3 नकल नक्शा है। प्रदर्श–4 वादगत कृषि भूमि की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2073 से 2076 में वादीगण के पिता का नाम रामकुमारसिंह दर्ज है। प्रदर्श–5 ए पेनकार्ड सं. ILIPS6706N, प्रदर्श–7 ए आधार कार्ड सं. 490871253005, प्रदर्श–8 ए राशन कार्ड सं. 007053015041 एवं प्रदर्श–1 ए पेन कार्ड सं. NARPS1211M, प्रदर्श–2 ए आधार कार्ड सं. 308636989835, प्रदर्श–3 ए राशन कार्ड सं. 007053015040 समस्त में वादीगण के पिता का नाम गोगराजसिंह अंकित है। पैरोकार राज ने अपने जवाबदावा में उक्त दुरूस्ती बाबत कोई प्रतिवाद नहीं किया है तथा नाम दुरूस्त किये जाने से राज्य सरकार को कोई हानि होने की सम्भावना जाहिर नहीं की है। तहसीलदार, चूरू ने अपनी जांच रिपोर्ट में वादीगण के पिता का नाम दुरूस्त करने की अनुशंषा की है।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 547/238 तदादी 6.8164 हैक्टेयर रोही दूधवा मीठा में वादीगण के पिता का नाम रामकुमारसिंह दर्ज है जिसको वादीगण दुरूस्त करवाना चाहते हैं। वादीगण के राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं पासपोर्ट में पिता का नाम गोगराजसिंह अंकित है। दावा में प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू की ओर से बाद जांच पाया गया है कि वादीगण के पिता रामकुमारसिंह एवं गोगराजसिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं तथा वादीगण के पिता का नाम रामकुमारसिंह के बजाय गोगराजसिंह दुरूस्त करने की अनुशंषा की है। पैरोकार राज ने भी वादीगण के पिता का नाम दुरूस्त करने से राज्य सरकार को कोई हानि होने की सम्भावना नहीं बताई है। वादीगण द्वारा पेश दावा व दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादीगण वादगत कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम रामकुमारसिंह गलत दर्ज चला आ रहा है जबकि वादीगण के समस्त दस्तावेजों में उनके पिता का सही नाम गोगराजसिंह दर्ज है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज पिता के नामों में भिन्नता होने से वादीगण को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादीगण वादगत कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार होने से उन्हें राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के गलत दर्ज नाम को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजों एवं तहसीलदार, चूरू की अनुशंषा के आधार पर वादीगण का दावा स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:24:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

निर्णय

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं तहसीलदार, चूरू की अनुशंषा के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषिभूमि ख.नं. 547/238 तदादी 6.8164 हैक्टेयर रोही दूधवा मीठा में वादीगण के पिता का नाम रामकुमारसिंह के स्थान पर गोगराजसिंह अंकित करने का आदेश दिया जाता है, शेष अंकन यथावत् रहेगा। भविष्य में उक्त नाम संशोधन बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी वादीगण की रहेगी। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

(अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:24:00 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री अभिषेक खन्ना आई0ए0एस0

1. रेवन्तसिंह पुत्र गोगराजसिंह उम्र 42 वर्ष जाति रावणा राजपूत निवासी दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. कुम्भकरणसिंह पुत्र गोगराजसिंह उम्र 37 वर्ष जाति रावणा राजपूत निवासी दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादीगण–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 50 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री राजेन्द्रकुमार राजपुरोहित व श्री मंगलसिंह एडवोकेट्स वादीगण मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं तहसीलदार, चूरू की अनुशंषा के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 547/238 तदादी 6.8164 हैक्टेयर रोही दूधवा मीठा में वादीगण के पिता का नाम रामकुमारसिंह के स्थान पर गोगराजसिंह अंकित करने का आदेश दिया जाता है, शेष अंकन यथावत् रहेगा। भविष्य में उक्त नाम संशोधन बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी वादीगण की रहेगी। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 28 माह दिसम्बर सन् 2020 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:24:00 IST
Reason: SelfAttested

(अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू